

बिहार सरकार
समाहरणालय, किशनगंज
किशनगंज-855107
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष नं. :- 06456-222530, 225480 (कार्यालय)
06456-222535, 222520 (आवास)
फैक्स नं. :- 06456-222626,
ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

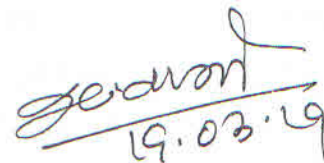
दिनांक-19.03.2019 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में बिहार निःशक्तता आयुक्त डा. शिवाजी कुमार ने किशनगंज समाहरणालय सभाकक्ष में दिव्यांगजनों के बीच मतदाता जागरूकता हेतु समीक्षात्मक बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के Chapter 2 Section-11 में उल्लेखित दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए लोक सभा आम निर्वाचन 2019 में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम सुविधाओं के प्रावधानों के आलोक में निम्न चर्चा किये गये।

उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

- किशनगंज जिला अन्तर्गत लगभग 13000 हजार दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में नाम दर्ज है एवं जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है उन्हें भी जल्द से जल्द वोटर सूची में जोड़ने की कर्वाइ की जाय।
- जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि चिन्हित दिव्यांगजन की सूची सभी P.C.C.P को उपलब्ध कराया जायगा साथ ही P.C.C.P ही दिव्यांगजनों को मतदाता केन्द्र तक लाने एवं मतदान के पश्चात उनके घर तक छोड़ने का काम करेंगे। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)
- जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जो भी दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे उन्हें सम्मान पत्र दिया जाय। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्र/मतदान भवन में हीलचेयर की व्यवस्था की जाय।
- रैम्प की व्यवस्था करना तथा रैम्प मानकों के अनुसार (1:10 के अनुपात का पालन हो यह सुनिश्चित करना)। रैम्प के साथ Handrails का होना जरूरी है। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)
- हर बूथ पर Dedicated Volunteers की व्यवस्था करना तथा उनको सही प्रशिक्षण। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जीविका/कृषि सलाहकार/पंचायत रोजगार सेवक/विकास मित्र)
- ब्रेल बायलेट पेपर की व्यवस्था। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)
- मतदान केन्द्र में दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग पवित्र की व्यवस्था। इसके लिए प्रचार-प्रसार करना जरूरी है। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)
- दिव्यांगजनों के लिए शौचालय (कमोड युक्त) एवं Parking की व्यवस्था। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/समग्र शिक्षा)
- Signage's की व्यवस्था। (अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
- सभी स्वयं सेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि मतदान केन्द्रों पर Dedicated Volunteers के माध्यम से दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान में सहयोग प्रदान करें।
- सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने हेतु नये प्रपत्र में उपयोग करेंगे।
- जीविका /शिक्षा विभाग (रिसोर्स टीचर की प्रतिनियुक्ति)/बुनियाद केन्द्र के आये हुए प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने हेतु सहयोग प्रदान करें।
- जो मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है उनको अपने माता-पिता या Legal Guardian के सहयोग से अपना मतदान कर सकते हैं।

- दिव्यांगज न मतदाताओं के बीच जागरूकता हेतु श्री अताउर रहमान, शिक्षक, उ. म.वि. भोलाभीठा, ठाकुरगंज को रोल मॉडल बनाने हेतु चयन किया गया।

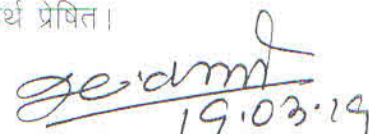
अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


19.03.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन),
बिहार, पटना।

ज्ञापक- 03 I.सा.सु.को.दिनांक 19 / 03 / 2019

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र (सक्षम) / जीविका / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी/समग्र शिक्षा अभियान किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन संपर्क / मीडिया कोषांग पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी एन0जी0ओ0, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला निर्वाचन-सह-जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


19.03.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन),
बिहार, पटना।